

थारू महिलाओं पर संचार क्रांति का प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन जनपद उधम सिंह नगर के विशेष संदर्भ में

डॉ. रवि कान्त कुमार

पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर (आई.सी.एस.एस.आर., नई दिल्ली) शोध केन्द्र, समाजशास्त्र विभाग, राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

संचार मानव जीवन एवं विकास का आधार है। समाज में समय के साथ बदलते सामाजिक एवं मानवीय प्रतिमान संचार के सुव्यवस्थित प्रयोग का ही परिणाम है। मानव समाज आज विकास के जिस ऊँचाई पर खड़ा है, वहां तक पहुंचाने में बदलते संचार माध्यमों की अद्वितीय भूमिका रही है। आज इसका स्पष्ट प्रभाव राष्ट्रीय ही नहीं वरन् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। आज विश्व के किसी एक छोर पर स्थित देशों में घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव दूसरे छोर पर स्थित देशों में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संचार के क्षेत्र में आयी अप्रत्याशित परिवर्तन की रही है। राष्ट्रीय स्तर पर विगत तीन दशकों में संचार माध्यमों के क्षेत्र में तकनीकी के अकल्पनीय प्रयोग ने न केवल नगरीय समाज वरन् ग्रामीण एवं आदिवासी या जनजातीय समाज को भी व्यापक रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया है। इसी परिवर्तन के कारण आज सम्पूर्ण विश्व समुदाय एक छत के नीचे खड़ा है। वर्तमान समय में संचार के बदलते स्वरूप एवं माध्यमों के कारण ही अधिकांश समुदायों में सांस्कृतिक संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वैश्विक स्तर पर महिला अधिकारों के लिए बुलंद होती आवाज, विभिन्न रूपों में हमारे सामने है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं के सर्वांगीण विकास को समर्पित विविध योजनाएं इसी का परिणाम है। महिलाओं का कौशल विकास, आधुनिक शिक्षा की महिलाओं तक पहुंच स्थापित करने हेतु छात्रवृत्ति का प्रावधान आदि इसी योजनाओं का एक उदाहरण मात्र है। जिसके कारण वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक—आर्थिक प्रस्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन की जड़ में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले विविध समुदायों के साथ-साथ दुर्गम एवं वनीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातीय समुदाय भी आ रहे हैं। थारू जनजातीय समुदाय जो उत्तराखण्ड की सर्वाधिक आवादी वाली जनजातीय समुदाय है, भी आज इससे अछूता नहीं रहा है। जनजातीय बालिका आवासीय विद्यालय खटीमा समेत अन्य जनजातीय एवं सामान्य शिक्षण संस्थानों में इनकी बढ़ती संख्या वक्त के साथ आये इस अप्रत्याशित परिवर्तन का ही परिणाम है।

संचार माध्यमों के रूप में अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग ने थारू जनजातीय समुदायों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। इनका स्पष्ट प्रभाव इनके दैनिक जीवन की बदलती कार्य प्रणाली, आय के स्रोतों में बदलाव, महिलाओं की बदलती भूमिका, सांस्कृतिक बदलाव आदि के रूप में परिलक्षित होता है। थारू जनजातीय महिलाओं के पारंपरिक कार्यों में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, कृषि कार्यों के इतर अन्य कार्यों से जुड़ना, आधुनिक शिक्षा ग्रहण करना, प्रेम विवाह, पारंपरिक खान-पान में परिवर्तन आदि इनकी सामाजिक—सांस्कृतिक संरचना निरंतर हो रहे परिवर्तन का ही परिणाम है। इससे इस समुदाय में सांस्कृतिक संक्रमण को बढ़ावा दिया है। जिससे इनके समक्ष अपने पारंपरिक सामाजिक संरचना को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस समाज में हो रहे इस प्रकार के बदलाव न केवल अध्ययन का विषय बन चुका है, वरन् अन्य समुदायों के लिए भी यह एक प्रासंगिक उदाहरण साबित होगा। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु अध्ययन विषय के रूप में थारू महिलाओं पर संचार क्रांति का प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन जनपद उधम सिंह नगर के विशेष संदर्भ में शीर्षक का चयन किया गया है।

शब्द कुंजी: संचार क्रांति, उपभोक्तावादी संस्कृति, प्रस्थिति, इंटरनेट, पितृसत्तात्मक, समाजीकरण, सामाजिक संरचना, संस्कार

प्रस्तावना

संचार मानव जीवन का आधार है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल से ही यह मनुष्य की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। आज जबकि सम्पूर्ण विश्व समुदाय संचार क्रांति के दौर से गुजर रहा है, यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि पारंपरिक एवं आधुनिक संचार तकनीकों में व्यापक अंतर आ गया है। इस दौर में न केवल संचार के नवीन साधनों के विकास पर जोर दिया गया बल्कि पुराने पारंपरिक संचार माध्यमों को भी नवीन रूप प्रदान करने का कार्य किया गया है। समाज में आये इस प्रकार के परिवर्तन ने न केवल समाज में भौगोलिक दूरियों को कम करने का कार्य किया है बल्कि इसने समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया है। इस दौर में किसी व्यक्ति की पहचान

उसके प्रदत्त प्रस्थिति से कहीं अधिक अर्जित प्रस्थिति से होती है। इस अर्जित प्रस्थिति में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह साम्प्रतिक संदर्भ में न केवल किसी व्यक्ति या परिवार बल्कि क्षेत्र एवं राष्ट्र के विकास का भी आधार स्तम्भ माना जाता है। आज बदलती शिक्षा व्यवस्था, संवैधानिक प्रावधान आदि का मूल आशय मानव की नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। जिसके लिए आज धन पर आश्रितता बढ़ गयी है या यूँ कहें, आज हम 'अर्थ' प्रधान समाज का एक हिस्सा हैं। इस कारण जिस समाज में परंपरा से एक व्यक्ति के लिए चरित्र को महत्वपूर्ण माना जाता था, आज उसी समाज में येन-केन प्रकारेण धन कमाने पर जोर दिया जाता है। जिसके कारण व्यक्ति आज अपने पारंपरिक कार्यों से इतर अपने कौशल एवं योग्यतानुरूप

रोजगार की तलाश में है। यह केवल सभ्य समाज कहलाने वाले नगरीय एवं ग्रामीण समुदाय पर ही लागू नहीं होता है, वरन् दुर्गम एवं दूर दराज के क्षेत्रों में निवासरत जनजातीय समुदाय में भी देखने को मिलता है। थारू जनजातीय समुदाय जो मूल रूप से भारत के उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के तराई-भावर वाले क्षेत्रों तथा नेपाल में पाया जाता है, भी इसी का एक अंग है तथा आज इनकी सामाजिक संरचना पर भी संचार क्रांति का व्यापक असर स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है।

थारू जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य, कृषक मजदूर, मछली पकड़ना एवं अन्य संबंधित व्यवसाय रहा है। यदि बात प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु चयनित अध्ययन क्षेत्र में निवासरत थारू समुदाय की करें तो यह मूल रूप से उत्तराखण्ड के जनपद खटीमा एवं सितारगंज के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निवासरत है। यह क्षेत्र प्रदेश का तराई का भूभाग है, जो घने जंगलों से सटा हुआ है। इस क्षेत्र में निवासरत थारू महिलाओं का मुख्य कार्य पुरुषों के साथ मिलकर खेतों में काम करना, घरेलू कार्य, कृषक मजदूरी आदि रहा है। सितारगंज का औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित होना, विकास के विविध स्वरूपों का इनके ग्राम तक पहुंच स्थापित करना, सभ्य समाजों से सम्पर्क बढ़ाना, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रचार प्रसार आदि ने एक ओर जहां इसे शोषण के नये रूप से रू-ब-रू कराने का कार्य किया है, वहीं इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर भी प्रदान किया है। आज इनके पारंपरिक दैनिक कार्यों में आ रहा परिवर्तन इस बात का द्योतक है कि इन समुदाय की सामाजिक – संरचना बदल रही है।

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के विगत लगभग तीन दशकों में विज्ञान एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र में हुयी क्रांति के कारण समाज में जो परिवर्तन हुआ है, उसी के परिणामस्वरूप आज सामाजिक संबंधों के तानों-बानों में व्यापक परिवर्तन आ गया है। परंपरा से चली आ रही सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रमुख साधनों में चरित्र, जाति, धर्म आदि को प्रमुख माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में सामाजिक प्रतिष्ठा के इन पारंपरिक साधनों की जगह व्यवसायिक पद एवं आर्थिक परिस्थिति ने ले लिया है। उपभोक्तावादी चकाचौंध के बढ़ते प्रभाव के कारण आज जिस परिवार में भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़े समान जितना अधिक होता है, उसे उतना ही समृद्ध एवं प्रतिष्ठित माना जाता है। संचार साधनों के अभूतपूर्व विकास एवं आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों के प्रति बढ़ती सामाजिक अपेक्षाओं ने व्यक्ति के मूल्य, प्रतिमानों एवं व्यवहारों को भी प्रभावित किया है। समकालीन समाज में व्यक्ति के मूल्यों एवं व्यवहार प्रतिमानों को प्रभावित करने वाले कारकों में व्यवसाय की प्रकृति, पद, पारिवारिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, वैवाहिक स्थिति, आयु आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साथ ही व्यवसाय विशेष में व्यक्ति की सहभागिता और उसमें निहित प्रगति की सम्भावनाओं के प्रति उसकी उन्मुखता पर उसके वैयक्तिक गुण, पारिवारिक पृष्ठभूमि और व्यवसायिक प्रकृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण पारंपरिक मानवतावादी संस्कृति का महत्व कम होता जा रहा है।

संचार मानवीय एवं सामाजिक विकास की एक आवश्यक शर्त है। यही वह मानवीय उपलब्धि है जो उन्हें बदलते सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन स्थापित करने तथा आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों से अवगत कराने का कार्य करती है। समाज में समय के साथ बदलते सामाजिक एवं मानवीय प्रतिमान संचार के सुव्यवस्थित प्रयोग का ही परिणाम है। मानव समाज आज विकास के जिस ऊँचाई पर खड़ा है, वहां तक पहुंचाने में बदलते संचार माध्यमों की अद्वितीय भूमिका रही है। आज इसका स्पष्ट प्रभाव राष्ट्रीय ही नहीं वरन् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। आज विश्व के किसी एक छोर पर स्थित देशों में घटित

होने वाली घटनाओं का प्रभाव दूसरे छोर पर स्थित देशों में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संचार के क्षेत्र में आयी अप्रत्याशित परिवर्तन की रही है। राष्ट्रीय स्तर पर विगत तीन दशकों में संचार माध्यमों के क्षेत्र में तकनीकी के अकल्पनीय प्रयोग ने न केवल नगरीय समाज वरन् ग्रामीण एवं आदिवासी या जनजातीय समाज को भी व्यापक रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया है। इसी परिवर्तन के कारण आज सम्पूर्ण विश्व समुदाय एक छत के नीचे खड़ा है। वैश्विक स्तर पर महिला अधिकारों के लिए बुलंद होती आवाज, विभिन्न रूपों में हमारे सामने है, यह संचार क्रांति के कारण ही संभव हो पाया है। इसका एक दूसरा पहलू यह भी सामने आया है कि किसी भी राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास की कल्पना तब तक साकार रूप धारण नहीं कर सकती है, जब तक कि उस राष्ट्र की समस्त मानव श्रम शक्ति का समुचित उपयोग संभव न हो जाए। इस कारण भी आज विविध प्रावधानों के द्वारा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का अनवरत प्रयास जारी है। महिलाओं का कौशल विकास, आधुनिक शिक्षा की महिलाओं तक पहुंच स्थापित करने हेतु छात्रवृत्ति का प्रावधान आदि इसी का एक उदाहरण मात्र है। जिसके कारण वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन की जद में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले विविध समुदायों के साथ-साथ दुर्गम एवं वनीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातीय समुदाय भी आ रहे हैं। थारू जनजातीय समुदाय जो उत्तराखण्ड की सर्वाधिक आवादी वाली जनजातीय समुदाय है, भी आज इससे अछूता नहीं रहा है। आज इस जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। साथ ही आर्थिक क्रियाओं में वैज्ञानिक एवं तकनीकी का प्रयोग भी बढ़ा है, जिससे महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। इससे थारू महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति में व्यापक अंतर आया है, जो समय के साथ आये संचार क्रांति की लहर का ही परिणाम है।

अध्ययन का उद्देश्य

थारू उत्तराखण्ड में निवासरत पांच अनुसूचित जनजातियों में एक है। इनका निवास स्थान जनपद उधम सिंह नगर का तराई-भावर का क्षेत्र है, जो मूल रूप से विकासखण्ड खटीमा एवं सितारगंज के अंतर्गत आता है। पारंपरा से इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति कृषि कार्य के अनुकूल रही है। लेकिन स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से इस क्षेत्र की परिस्थिति में तीव्र परिवर्तन आया है। जनपद में और खासकर थारू बाहुल्य क्षेत्र के निकट ही औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने के कारण इस क्षेत्र में संचार की गति में तीव्र परिवर्तन आया है। इससे इस समुदाय की सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है। इससे एक ओर जहां समाज में विकास के नए अवसर का सृजन हुआ है, वहीं दूसरी ओर अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। इन्हीं तथ्यों को आधार मानकर प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है—

1. थारू महिलाओं की बदलती संस्कृति का अध्ययन करना
2. थारू महिलाओं के दैनिक जीवन पर संचार माध्यमों के प्रभावों का अध्ययन करना

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन समकालीन समाज में संचार के बदलते माध्यम का थारू महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर केन्द्रित है। यह अध्ययन हमें न केवल थारू समुदाय में महिलाओं की बदलती सामाजिक प्रस्थिति से अवगत होने का अवसर प्रदान करती है, वरन् इसके माध्यम से बदलते संचार माध्यमों का इनके दैनिक जीवन में आने वाले बदलाव से भी अवगत होने का

अवसर प्राप्त होता है। इससे इन महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए संचालित योजनाओं हेतु आधुनिक संचार माध्यमों के प्रयोग की योजना बनाने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार यह अध्ययन न केवल सामाजिक वरन् प्रशासनिक महत्व के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया गया एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन है। इस अध्ययन के सफल सम्पादन के लिए शोधकर्ता ने वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों का क्रमवद्ध प्रयोग किया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प का चयन किया गया है। क्योंकि अध्ययन मूल रूप से प्राथमिक तथ्यों पर आधारित एक गणनात्मक शोध है, इसके लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड सितारगंज एवं खटीमा का चयन किया गया है। यह क्षेत्र भौगोलिक एवं जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है, इसलिए प्रस्तुत अध्ययन कार्य के सम्पादन के लिए चरणवद्ध तरीके से निदर्शन पद्धति का प्रयोग कर क्षेत्र एवं अध्ययन समग्र तथा प्रतिदर्श का सीमांकन किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम विकासखण्ड सितारगंज के उन गांवों का चयन किया गया है, जहां थारू परिवारों की संख्या 75 प्रतिशत या उससे अधिक है। तत्पश्चात उन चयनित गांवों में से सोद्देश्य निदर्शन पद्धति द्वारा 30 प्रतिशत परिवारों का चयन अध्ययन इकाई के रूप में किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु कुल 445 उत्तरदाताओं का चयन प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण

महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक उन्नयन आज सर्वाधिक चर्चा का विषय है। बदलते समय के साथ महिलाओं की पारंपरिक सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने तथा उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार, समाज सुधारकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दशकों पूर्व जिन अभियान की शुरुआत की गयी थी। उनके परिणामस्वरूप आज इनकी स्थिति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी नारीवादी आन्दोलन महिलाओं को समाज में समानता एवं प्रतिष्ठापूर्वक जीवन-यापन का हक दिलाने के उद्देश्य से ही संचालित है। ये और बात है कि यदि हम जनजातीय और खासकर थारू जनजातीय समुदाय के इतिहास में झांके तो पता चलता है कि महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति पारंपरिक रूप में पुरुषों के समान या इससे कहीं अधिक बेहतर मानी जाती थी। लेकिन बदलती सामाजिक व्यवस्था तथा संचार के साधनों में तकनीकी के बढ़ते प्रयोग ने सांस्कृतिक संक्रमण की जो स्थिति उत्पन्न की है, उसके परिणामस्वरूप इस समाज की कई सांस्कृतिक विशेषताएं आज लुप्तप्राय स्थिति में पहुंच गयी है। इस प्रकार के संक्रमण के कारण थारू समुदाय की महिलाओं के मनोवृत्ति में भी स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित होता है। इसके लिए आज के दौर में किसी एक को कारण मानना समयोचित प्रतीत नहीं होता है। आज महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में शिक्षा, विवाह, परिवार में स्थान तथा उनकी वैचारिक प्रधानता आदि कारकों का अपना विशिष्ट महत्व है। थारू महिलाएं जो परंपरा से थारू संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन में अपनी महती भूमिका निभाती आयी है, पर संचार के आधुनिक माध्यमों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, तथा समाज में इसके कारण आये परिवर्तन के बारे में वह क्या सेचती है। प्रस्तुत अध्ययन में इन तथ्यों को जानने के लिए प्राथमिक तथ्य संकलन के माध्यम से चयनित थारू महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, उनकी वैवाहिक स्थिति, परिवार में उनके विचारों की अहमियत, प्रेम विवाह के संबंध में उनके विचार, 'संचार माध्यमों के प्रति उनकी

मनोवृत्ति आदि संबंधी तथ्यों का संकलन किया है, जिसका सारणीयण एवं विश्लेषण आगे किया जा रहा है। शिक्षा मानव के आंतरिक गुणों को प्रस्फुटित एवं विकसित होने का अवसर प्रदान करती है, साथ ही अपने परिवेश से अनुकूलन स्थापित कर भावी चुनौतियों से निपटने की कला भी सिखाती है। यही कारण है कि इसे व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण माना जाता है। आधुनिक समय में तकनीकी एवं सूचना तंत्र के अभूतपूर्व विकास ने शिक्षा के उद्देश्यों में बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए मजबूर किया है। वर्तमान समय में औद्योगीकरण एवं मशीनीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परंपरागत शिक्षण पद्धति की जगह व्यवसायिक एवं तकनीकी कौशल विकास पर आधारित शिक्षण पद्धति ने ले लिया है। आज के औद्योगिक एवं तकनीकी समाज में व्यक्ति की शैक्षणिक प्रस्थिति उसकी व्यवसायिक सहभागिता को सुनिश्चित करती है। व्यवसाय विशेष में संलग्न लोगों में निहित शैक्षिक भिन्नता का प्रभाव उसकी कार्य कुशलता एवं कार्य सम्पादन की स्थिति में भी दिखाई पड़ता है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण ने जिस उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया है, उसमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित कौशल विकास हेतु औपचारिक शिक्षा से जुड़ना अनिवार्य कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से तीन विचारधाराओं का अनुसरण करती थी। पहली विचारधारा अंतर्गत प्रत्येक उस वस्तु का निषेध किया गया था, जो विदेशी हो भारतीय समाज की प्राचीन विरासत में मान्य न हो। इस विचारधारा के अंतर्गत गुरुकूल व्यवस्था की तर्ज पर अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी। दूसरी विचारधारा अंतर्गत शिक्षा का स्वदेशीकरण पर जोर दिया गया। इसी क्रम में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ आदि उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी। तीसरी विचारधारा अंतर्गत लंदन और ऑक्सफोर्ड शिक्षण संस्थानों की तर्ज पर भारत में शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर ध्यान दिया। इस संदर्भ में 1835 में दिए मैकाले के विचार महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने कहा है "हमें एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहिए जो हमारे और करोड़ों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषिये का काम कर सकें - ऐसे व्यक्तियों का वर्ग जो रंग और रक्त से भारतीय हो, लेकिन रूचियों, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से इंग्लिश हो।" इस विचार से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति की सांस्कृतिक परिवर्तन और जीवन स्तर में सुधार में शिक्षा का विशेष महत्व है। आदिवासी समाज जो वर्षों तक इससे वंचित एवं इसके गुणों से अनभिज्ञ रहे हैं, के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं कारणों से सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर थारू जनजातीय समुदाय को और खास कर थारू महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए अनेक प्रावधान किए जा रहे हैं। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य इस जनजाति में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना है तथा इनके माध्यम से क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन करना है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा का स्तर मनुष्य के सोचने-समझने की क्षमता, उनके आचरण, व्यवहार, कर्तव्यनिष्ठा के साथ-साथ कार्यकुशलता में गुणात्मक वृद्धि लाता है। वर्तमान समय में भारत की अन्य जनजातीय समुदाय के समान ही थारू जनजाति की शैक्षिक स्थिति भी अपेक्षाकृत निम्न है। स्वतंत्रता से पूर्व इनकी स्थिति अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के कारण अत्यन्त दयनीय बनी हुई थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इनके स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए विविध संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के कारण यह अपेक्षा की जा रही थी की इनकी स्थिति में व्यापक सुधार आएगा, जो अभी भी साकार रूप धारण नहीं कर पाया है। आज

थारू महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है बावजूद इनके थारू महिलाओं की प्रस्थिति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं होता है, जिसका मुख्य कारण इनमें जागरूकता के अभाव होना है।

आज के वैज्ञानिक युग में तकनीकी शिक्षा के विकास और आधुनिक उपकरणों के प्रयोग ने समाज की समस्त कार्य-प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाया है। आज जबकि हर क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग कर ऑनलाइन माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ये महिलाएं आज भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ एवं वंचित हैं। इसमें सुधार लाने के लिए सर्वप्रथम इनके शैक्षिक स्तर में सुधार लाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। संचार क्रांति के इस दौर में आज न

केवल कौशल विकास से संबंधित तकनीकी शिक्षा का प्रावधान ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा वरन् व्यवसायिक एवं पारंपरिक शिक्षा को भी इस माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। यह न केवल महिलाओं के पारंपरिक जीवनशैली में परिवर्तन लाकर उनके सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति में सुधार लाने वाले महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभा रही है वरन् यह महिलाओं को पारंपरिक रूढ़िवादी बंधनों एवं विचारधाराओं से भी मुक्ति दिलाती है। थारू महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति के परिवर्तन में शिक्षा के इसी विशेष महत्व के कारण प्रस्तुत अध्ययन कार्य के दौरान उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर से संबंधित तथ्यों का संकलन किया है, जिनका वर्गीकरण सारणी संख्या 01 में किया गया है।

सारणी संख्या 1: शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाताओं की संख्या	शैक्षिक योग्यता की प्रकृति								
	निरक्षर	प्राइमरी	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर	तकनीकी/ व्यवसायिक	अन्य	योग
आवृत्ति	109	63	117	52	41	49	03	11	445
प्रतिशत	24.49	14.16	26.29	11.69	09.22	11.01	00.67	02.47	100

उपर्युक्त सारणी संख्या 01 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु चयनित इकाइयों की शैक्षिक पृष्ठभूमि अलग-अलग है। इसके इकाई के माध्यम से दो महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पहली सूचना हमें यह प्राप्त हो रही है कि आज के दौर में भी थारू महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अपेक्षाकृत निम्न है। जिसके कारण इनमें पारंपरिक संस्कृति की झलक आज भी देखने को मिलती है। दूसरा इस प्रकार के चयन से हमें न केवल समुदाय की पारंपरिक विचारधारा से अवगत होने का अवसर प्राप्त होता है बल्कि इसमें आधुनिकता के समावेशन की स्थिति का आकलन करना भी आसान हो जाता है।

विवाह

मानव जीवन अनेक भूमिकाओं का एक संयोग है, जिन्हें विभिन्न संस्थाओं या समुदायों के परिवेश में निभाना होता है। कूस ने विवाह के संदर्भ में विचार स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विवाह एक विभाजन रेखा है जो कि जनक परिवार और जनन परिवार के बीच दोनों परिवारों में व्यक्ति की भूमिका के संदर्भ में खींची गयी है। जनक परिवार में भूमिकाएं शैशव, बचपन और किशोरावस्था में बदलती रहती है तथा इस अवस्था में दायित्व का बोध नहीं होता, किन्तु जनन परिवार में भूमिकाएं विवाह के बाद की होती है, जिनमें पति के रूप में, पिता के रूप में, धन अर्जनकर्ता के रूप में, पितामह के रूप में तथा अवकाश प्राप्त व्यक्ति के रूप में विविध अपेक्षाओं और दायित्वों वाली होती है। इस विचार से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाह का भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परम्परा में महत्वपूर्ण स्थान है। विवाह के पश्चात व्यक्ति के कर्तव्यों एवं दायित्वों में व्यापक अंतर आ जाता है। विवाह व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन काल में सम्पादित किये जाने वाले उन महत्वपूर्ण संस्कारों में एक है, जो इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं कार्य प्रणाली में बदलाव लाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक संस्थाओं में भिन्न-भिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करता है। इनमें से विवाह का स्थान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यह संस्था मानव समाज की निरंतरता को बनाये रखने के लिए पुरुष और स्त्री के मान्यताप्राप्त लैंगिक संबंधों के अलावा परिवार के निर्माण को स्वीकृति प्रदान करती है। वैवाहिक जीवन व्यक्ति के उत्तरदायित्व और भूमिका निर्वाह की प्रवृत्ति में कुछ विशेष गुणों का निवेश करता है। सामाजिक संबंधों और व्यवहारिक प्रतिमानों में विवाहित युगल स्वीकृत

सामाजिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करने के लिये बाध्य होते हैं। जहाँ एक ओर अविवाहित सदस्य का उत्तरदायित्व और उसकी भूमिका वैयक्तिक मूल्य स्वतंत्रता से प्रभावित होते हैं, वहीं विवाहित सदस्य की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर पारिवारिक व्यवस्था का अंकुश लगा होता है। व्यवसायिक कर्तव्यों के पालन में भी यह संस्था अपना प्रभाव सुनिश्चित करती है। वस्तुतः विवाह संस्कार की प्रतिमानित व्यवस्था, व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति और व्यवसायिक सहभागिता की दशाओं का निर्धारण करती है। विवाह के संबंध में उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठ भूमि का एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी वैवाहिक स्थिति है। थारू समुदाय में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पायी जाती है। इस कारण अन्य हिन्दू समाज की महिलाओं के समान ही थारू महिलाओं को भी विवाह के पश्चात अपने पति के घर जाना होता है और उसके सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का एक बड़ा कारण बन जाता है। आज भी थारू ही नहीं वरन् भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विधवा स्त्री, तलाकशुदा स्त्री या एक आयु वर्ग को प्राप्त कर लेने के पश्चात अविवाहित महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति अपेक्षाकृत निम्न मानी जाती है। उन्हें अपने समाज में ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज में विवाह के इसी महत्व के कारण प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति से संबंधित तथ्यों का संकलन किया है जिनका वर्गीकरण सारणी संख्या 02 में किया गया है।

सारणी संख्या 2: वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं की संख्या	वैवाहिक स्थिति				योग
	विवाहित	अविवाहित	विधवा	तलाकशुदा	
आवृत्ति	342	72	23	08	445
प्रतिशत	76.85	16.18	05.17	01.80	100

सारणी संख्या 02 से स्पष्ट है कि चयनित अधिकांश उत्तरदाता (76.85 प्रतिशत) विवाहित है और 16.18 प्रतिशत अविवाहित। 5.17 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा तथा 1.80 प्रतिशत उत्तरदाता तलाकशुदा हैं। आज की बदलती परिस्थिति में इनके समक्ष परिवार और परिवार के बाहर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, से यह बेहतर रूप में अवगत करा सकती है। साथ ही अपने समुदाय में यह महिलाएं विवाह पूर्व और पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में आने वाली

बदलावों से संबंधित सूचना संग्रहन में भी उपयोगी साबित हुई है। भारतीय संस्कृति में मूल रूप से दो प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। पहला पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था तथा दूसरा मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था। परंपरा से पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था में परिवार पुरुष प्रधान रहा है जबकि मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था में मातृप्रधान। आज राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम कुछ जनजातीय समुदायों को छोड़ दें तो यहां की पारिवारिक व्यवस्था पुरुष प्रधान ही रही है। महिलाओं के अधिकारों को परंपरा से नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं को आजीवन किसी न किसी पुरुष के अधीन ही रहना पड़ता था। जन्म के पश्चात लड़कियों को पिता और भाई की इच्छा के अनुरूप, शादी के पश्चात पति की इच्छा के अनुरूप तथा वृद्धावस्था में पुत्र की इच्छा के अनुरूप ही गुजर वार करती आयी हैं। उनकी इच्छा एवं उनके विचारों को हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा है। हलांकि महिलाओं को इस स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए समय-समय पर अनेक समाज सुधारकों ने कदम उठाए, लेकिन बावजूद इसके इनकी स्थिति आज भी कमोवेश धरेलू कार्यों तक ही सीमित है। लेकिन यदि हम थारू जनजातीय समुदाय की बात करें तो इसमें परंपरा से पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था का प्रचलन तो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस समुदाय में महिलाओं की प्रधानता रही है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि

सारणी संख्या 3: धरेलू निर्णयों में 'महिलाओं के विचारों की अहमियत दिये जाने संबंधी विचारों' के प्रति उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	267	60.00
नहीं	178	40.00
योग	445	100

सारणी संख्या 03 से स्पष्ट है कि थारू महिलाओं के विचारों को धरेलू निर्णयों में अहमियत दिया जाता है। उनसे किये गये प्रश्न 'क्या घर के महत्वपूर्ण फैसलों में आपके विचारों को प्रधानता दी जाती है?' अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसमें अपनी सहमति व्यक्त की है। इससे इस बात के भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि थारू महिलाओं की स्थिति अपने पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर अपेक्षाकृत उच्च है। अध्ययन के दौरान इस बात की भी जानकारी मिली कि थारू समुदाय में कई पारंपरिक बंधनों के टूटने के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार हुआ है। थारू समुदाय में विवाह संस्कार का अपना विशेष महत्व रहा है। इसमें पारंपरिक रूप से अपने गोत्र से बाहर विवाह करना वर्जित रहा है। डॉ चतुर्भुज मामोरिया के अनुसार 'थारू समाज में विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तथा विवाह प्रथा पर्याप्त रूप से विकसित पायी जाती है।' थारू समाज में प्रेम विवाह प्रथा पर प्रकाश डालते हुए डॉ शारदा प्रसाद लिखते हैं कि इसमें इस प्रकार के विवाह कभी-कभी देखने को मिलते थे, लेकिन इस समाज में प्रचलित विवाह के रूप में इनका स्थान परंपरा से रहा है। इस विवाह में परिवार की सहमति बाद में प्राप्त हो जाती थी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रकार के रिश्ते अपने समुदाय से बाहर नहीं होते थे। संचार माध्यमों के बढ़ते प्रभाव तथा हिन्दू समाज के ही अन्य समुदायों के सम्पर्क में आने के कारण अन्य संस्कृतियों के समान ही इनकी

कुछ परिवार आज भी अपने परंपरा के अनुरूप महिलाओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ परिवार बदलते समय के साथ अपने इस परंपरा में बदलाव ला चुके हैं। आज इस प्रकार के परिवार में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी है। लेकिन आज भी अधिकांश परिवार में इनके विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों एवं सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों के कारण आज कुछ महिलाएं अपने पारंपरिक कार्य से अलग समकालीन विविध रोजगार से जुड़ कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसी कुछ महिलाएं आज परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका इस दिशा की ओर संकेत करती है कि यदि इस प्रकार के प्रयास यूं ही जारी रहे तो आने वाले समय में इस समुदाय की महिलाएं एक बार फिर अपनी नई पहचान बनाने में सफल हो जाएगी। इससे न केवल महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक उन्नयन में सहयोग मिलेगा बल्कि राष्ट्रीय विकास को भी गति मिलेगी। धरेलू निर्णय लेने में महिलाओं के विचारों को अहमियत दिया जाना प्रत्यक्ष रूप से उनके सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति के उन्नयन का परिचायक है। इन्हीं कारणों से उत्तरदाताओं के पारिवारिक एवं सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति से जुड़े विविध तथ्यों के संकलन के दौरान इससे जुड़े तथ्यों का भी संकलन किया गया है, जिसका वर्गीकरण सारणी संख्या 03 में किया गया है।

वैवाहिक संस्कृति में भी व्यापक बदलाव परिलक्षित होता है। आज प्रेम विवाह का स्वरूप और दायरा बदल रहा है। अपने अध्ययन के दौरान पाया गया कि थारू समुदाय में प्रेम विवाह को गलत नहीं मानते हैं लेकिन अपने समुदाय से बाहर विवाह की वो स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं। बावजूद इसके आज इसकी दर में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। आए दिन समुदाय में बढ़ते प्रेम विवाह ने एक ओर जहां सामुदायिक विवाह संस्कारों के बंधन को कमजोर करने का कार्य किया है, वहीं विविध रूप में आपराधिक कृत्यों को भी बढ़ावा दिया है। जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव समुदाय की समस्त महिलाओं पर पड़ना स्वभाविक है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन कार्य के दौरान थारू समाज में बढ़ते प्रेम विवाह तथा इनके कारणों के संबंध में तथ्यों का संकलन किया गया है, जिनका वर्गीकरण क्रमशः सारणी संख्या 04 (क) एवं सारणी संख्या 04 (ख) में किया गया है।

सारणी संख्या 4 (क): थारू समुदाय में प्रेम विवाह बढ़ा है, के प्रति उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति

उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	361	81.12
नहीं	84	18.88
योग	445	100

सारणी संख्या 4 (ख): बढ़ते प्रेम विवाह के लिए जिम्मेवार कारकों के प्रति उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति

उत्तरदाताओं की संख्या	प्रेम विवाह के लिए जिम्मेवार कारक				
	आधुनिक संचार माध्यम	आधुनिक शिक्षा	सांस्कृतिक संक्रमण	अन्य	योग
आवृत्ति	109	71	117	64	361
प्रतिशत	30.19	19.67	32.41	17.73	100

उपर्युक्त वर्गीकृत सारणी संख्या 4 (क) एवं सारणी संख्या 4 (ख) से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता इस बात को स्वीकार करते हैं कि सामुदायिक स्तर पर प्रेम विवाह तेजी से बढ़ा है। यह विवाह समुदाय स्तर पर ही नहीं अपने समुदाय से बाहर रिश्ते को भी बढ़ावा दिया है। इस प्रकार के विवाह में आयी तेजी के लिए अधिकांश उत्तरदाता सांस्कृतिक संक्रमण को जिम्मेवार मानते हैं, जबकि आधुनिक संचार माध्यम के बढ़ते प्रभाव को प्रेम विवाह को जिम्मेवार मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या दूसरे स्थान पर रही है। इससे यह बात भी स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में संचार माध्यम ने थारू समुदाय की विवाह संस्कार एवं पद्धति को व्यापक रूप में प्रभावित किया है। क्योंकि सांस्कृतिक संक्रमण जो इस समुदाय में प्रेम विवाह में तेजी का प्रमुख कारण माना जा रहा है, में भी संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। थारू महिलाएं परंपरा से विभिन्न हस्तकलाओं की जानकार मानी जाती है। लेकिन आधुनिकता और शिक्षा से वर्षों तक दूर रहने के कारण इनके द्वारा उत्पादित उत्पाद बाजार में अपनी जगह बनाने में कहीं न कहीं पीछे रह जाती है। यह समस्या केवल थारू समुदाय की ही नहीं है वरन् भारतीय समाज में निवासरत हर समुदाय के युवाओं एवं कामगारों की यही स्थिति है। यही कारण है कि आज एक ओर जहां राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित बेरोजगारों की कतार दिन प्रतिदिन लम्बी होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुशल कामगार का अभाव चिंता का विषय बना हुआ है। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा कौशल

विकास योजनाओं की शुरुआत करना इसी समस्याओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। थारू महिलाओं ने भी इस प्रकार की योजना का लाभ उठाकर अपने कार्यों की गुणवत्ता को समकालीन बाजार की मांग के अनुरूप ढालने का कार्य किया है। लखीमपुर खीरी क्षेत्र में रहने वाले थारू समुदाय के महिलाएं आज कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन सीख रही हैं साथ ही इसके माध्यम से वे अपने उत्पाद को एक नई पहचान देने का कार्य भी किया है। इसकी शुरुआत 2015 में तात्कालिक डीएम किंजल सिंह के प्रयास से हुआ जो आज उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलने का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ है। जनपद उधम सिंह नगर की बात करें तो इस क्षेत्र में भी अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं जो महिलाओं को विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षित कर उसे स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया है। आज कम्प्यूटर एवं इंटरनेट न केवल इन्हें समकालीन समय में प्रचलित डिजाइन से रू-ब-रू कराती है वरन् विषय विशेषज्ञों एवं कुशल कारीगरों से उनकी बारीकियों पर भी प्रकाश डालती है। जो न केवल हुनरमंद हाथों को एक नवीन अवसर प्रदान करती है वल्कि इच्छुक युवाओं एवं युवतियों का मार्गदर्शन का कार्य भी करती है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन कार्य के दौरान इस बात को जानने का प्रयास किया गया कि थारू महिलाओं के कौशल विकास में संचार माध्यमों की क्या भूमिका रही है। इस संदर्भ में संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण सारणी संख्या 05 में किया गया है।

सारणी संख्या 05: महिलाओं के कौशल विकास में संचार माध्यमों के योगदान के संबंध में उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति

उत्तरदाताओं की संख्या	कम्प्यूटर/मोबाईल एवं इंटरनेट आज कौशल विकास के सशक्त माध्यम बन गये हैं के प्रति उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति					योग
	पूर्णतः सहमत	सहमत	तटस्थ	असहमत	पूर्णतः असहमत	
आवृत्ति	248	77	03	53	64	445
प्रतिशत	55.73	17.30	00.67	11.91	14.39	100

उपर्युक्त वर्गीकृत सारणी संख्या 05 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज के तीव्र गति से बदलते दौर में आधुनिक संचार माध्यम कौशल विकास का एक सशक्त माध्यम है।

निष्कर्ष

यह सर्वविदित है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया न केवल प्राकृतिक जगत को निरंतर नवीन स्वरूप प्रदान करती है वरन् सामाजिक जगत को भी निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में संचार मानव सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं निरंतर विकास में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करती है। यही कारण है कि बदलते समय के साथ संचार माध्यमों के स्वरूपों एवं उनके उद्देश्यों में व्यापक परिवर्तन आया है। पारंपरिक रूप में संचार माध्यम जहां केवल विचार अभिव्यक्ति एवं पारंपरिक धरोहर के संरक्षण तथा संवर्द्धन का साधन हुआ करता था, ने आज सांस्कृतिक संक्रमण से लेकर भौगोलिक दूरियों को मिटाने वाले साधन तथा बाजारवाद के नए विकल्प के रूप में पहचान बना चुका है। पिछले कुछ दशकों और खासकर पिछले तीन दशकों में संचार के क्षेत्र में अकल्पनीय परिवर्तन आया है। इसने वैश्विक स्तर पर भौगोलिक दूरियों को मिटाने का कार्य किया है, साथ ही सुचना सम्प्रेषण के साधनों को निरंतर प्रभावशाली बनाया है। इसका प्रभाव न केवल समाज के उन वर्गों पर देखने को मिलता है जो नगरीय एवं नगर के निकटस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत हैं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी एवं जनजातिय समुदायों पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि संचार के क्षेत्र में आयी क्रांतिकारी परिवर्तन ने न केवल थारू जनजाति के सांस्कृतिक

जीवन को विविध रूपों में प्रभावित किया है बल्कि उनके दैनिक कार्य, व्यवसाय एवं जीवन यापन के तरीके में भी व्यापक तौर पर परिवर्तन लाने का कार्य किया है। कुछ समय पूर्व तक थारू समुदाय की विशिष्ट पहचान माने जाने वाली कई संस्कृतियां लुप्तप्राय हो चुकी हैं और कई अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। इन सबके पीछे या परोक्ष रूप में संचार माध्यमों की भूमिका रही है। लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि संचार ने इस समुदाय के उन्नयन में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। वैश्विक महामारी के इस दौर में जबकि रोजगार के साधन लगभग सिमट चुके हैं, आधुनिक संचार माध्यमों ने इस समुदाय को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर जीने की एक नई राह दिखाई है। आज के दौर में संचार माध्यम न केवल मनोरंजन एवं विचार अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र रह गया है, वरन् आज इससे कहीं अधिक यह स्वरोजगार के सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं की जानकारी हो या हस्तशिल्प का डिजाइन से जुड़ी जानकारी आज इसके माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संचार माध्यम आज के दौर में थारू महिलाओं के उन्नयन का एक सशक्त माध्यम एवं भरोसेमंद हमसफर बन गया है।

संदर्भ ग्रंथ

1. उपाध्याय, देवेन्द्र (2007), उत्तराखण्ड के आदिवासी, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
2. गुडे, डब्ल्यू. जे. (1987), द फेमिली, प्रिटिस हॉल ऑफ इंडिया प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली

3. जोशी, योगेश चन्द्र (1990), थारू जनजाति : एक अध्ययन, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
4. दुबे, एस. सी. (1995), ट्रेडिसन एण्ड डेवलपमेंट, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
5. प्रसाद, शारदा (2018), थारू जनजाति : जीवन और संस्कृति, अभिधा प्रकाशन, मुजफ्फरपुर
6. रावत, जयसिंह (2013), उत्तराखण्ड : जनजातियों का इतिहास, विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून
7. ट्यूमीन एम. एम. (1953), सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन: ए क्रिटिकल एनालाइसिस, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू, वॉल्यूम 18
8. दैनिक हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला
9. दैनिक हिन्दी समाचार पत्र दैनिक जागरण
10. वार्षिक रिपोर्ट 2019–2020, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार
- 11- www.uk.gov.in
12. www.usnagaruk.gov.in